फाइल नं0-71-3099/35/2021-03

145/2022/I/227167/2022

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
बुलन्दशहर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, कौशाम्बी एवं ललितपुर।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक 20 अक्टूबर, 2022**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में केन्द्र सहायतित योजना "इस्टैबलिशमेंट ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेजेज अटैच्ड विद एक्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट/रेफरल हास्पिटल" (फेज-3) के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बुलन्दशहर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, कौशाम्बी एवं ललितपुर के निर्माण कार्य हेतु राज्यांश के रूप में धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षण अभियन्ता, भवन सेल, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-13008/बजट/भवन सेल, दिनॉक 03.10.2022 के क्रम में अवगत कराना है कि केन्द्र सहायतित योजना (फेज-3) के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बुलन्दशहर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, कौशाम्बी एवं ललितपुर के निर्माण कार्य हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों द्वारा प्रति मेडिकल कालेज कुल रू0 10800.00 लाख वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **वित्तीय वर्ष 2022-23 में** केन्द्र सहायतित योजना (फेज-3) के अन्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बुलन्दशहर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, कौशाम्बी एवं ललितपुर के निर्माण कार्य हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष राज्यांश के रूप में निम्न विवरणानुसार कुल रू0 29335.00 लाख (रू0 दो अरब तिरानबे करोड़ पैंतीस लाख मात्र) **की धनराशि** निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	मेडिकल कॉलेज का नाम	वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्यांश हेतु बजट व्यवस्था	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (राज्यांश)
1	2	3	4
1	बुलन्दशहर	6000.00	**5867. 00**
2	पीलीभीत	6000.00	**5867. 00**
3	लखीमपुर खीरी	6000.00	**5867. 00**
4	कौशाम्बी	6000.00	**5867. 00**
5	ललितपुर	6000.00	**5867. 00**
	योग-	**30000.00**	**29335.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic...

शर्ते/प्रतिबन्ध

1. स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0 /बैंक खाते/डाकघर में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जाएगा, अपितु आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा भौतिक प्रगति का विवरण समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 07.06.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्थाओं केा दो-दो माह की आवश्यकतानुसार धनराशि निर्गत की जाए। विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाए। कार्यदायी संस्था द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के 80 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरांत अगले दो माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाए।
4. योजना हेतु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. शासनादेश संख्या-75/2020/1452/71-3-2020-एन0एम0-23/2019, दिनॉक 18-12-2020, शासनादेश संख्या-78/2020/1460/71-3-2020-एन0एम0-16/2019, दिनॉक 18-12-2020, शासनादेश संख्या-72/2020/1461/71-3-2020-एन0एम0-21/2019, दिनॉक 18-12-2020, शासनादेश संख्या-80/2020/1453/71-3-2020-एन0एम0-18/2019, दिनॉक 18-12-2020 एवं शासनादेश संख्या-76/2020/1463/71-3-2020-एन0एम0-26/2019, दिनॉक 18-12-2020 में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् लागू रहेंगी।

4- उक्त पर होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 4210031058913 (मेडिकल कालेज, ललितपुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	4210031058913 मेडिकल कालेज, ललितपुर	24 वृहत् निर्माण कार्य	58,67,00,000 (रुपये अट्ठावन करोड़ सड़सठ लाख मात्र)
	कुल			**58,67,00,000** **(रुपये अट्ठावन करोड़ सड़सठ लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031058914 (मेडिकल कालेज, लखीमपुर खीरी)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	4210031058914 मेडिकल कालेज, लखीमपुर	24 वृहत् निर्माण	58,67,00,000 (रुपये अट्ठावन करोड़ सड़सठ लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

		खीरी	कार्य	
	कुल			**58,67,00,000** **(रुपये अट्ठावन करोड़ सड़सठ लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031058916 (मेडिकल कालेज, बुलन्दशहर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	4210031058916 मेडिकल कालेज, बुलन्दशहर	24 वृहत् निर्माण कार्य	58,67,00,000 (रुपये अट्ठावन करोड़ सड़सठ लाख मात्र)
	कुल			**58,67,00,000** **(रुपये अट्ठावन करोड़ सड़सठ लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031058918 (मेडिकल कालेज, पीलीभीत)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	4210031058918 मेडिकल कालेज, पीलीभीत	24 वृहत् निर्माण कार्य	58,67,00,000 (रुपये अट्ठावन करोड़ सड़सठ लाख मात्र)
	कुल			**58,67,00,000** **(रुपये अट्ठावन करोड़ सड़सठ लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 4210031058921 (मेडिकल कालेज, कौशाम्बी)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	4210031058921 मेडिकल कालेज, कौशाम्बी	24 वृहत् निर्माण कार्य	58,67,00,000 (रुपये अट्ठावन करोड़ सड़सठ लाख मात्र)
	कुल			**58,67,00,000** **(रुपये अट्ठावन करोड़ सड़सठ लाख मात्र)**

महायोग	2,93,35,00,000 (रुपये दो अरब तिरानवे करोड़ पैंतीस लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-304/दस-2022-23, दिनॉक 17 अक्टूबर, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी, बुलन्दशहर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, कौशाम्बी एवं ललितपुर।
5. प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. नोडल प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, बुलन्दशहर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, कौशाम्बी एवं ललितपुर।
10. अनु सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
11. नियोजन-अनुभाग-4
12. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।